फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

कमला देवी वगै0 बनाम गजानन्द वगै0

मुकदमा दावा मुकदमा नम्बर 6 सन् 2020

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
रिपोर्ट सरिस्ता होकर वादपत्र पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावें। पत्रावली दिनांक 27.01.2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	
27/1/2021 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. I.P.O सा. दौर पर हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 9/3/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
09.03.21 पत्रावली पेश हुयी। वकील वादी उप0। प्रति सं. 1 व 4 ने उपस्थित होकर लिखित तस्दीकशुदा शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये जो शामिल मिसल किये गये। प्रति सं. 2, 3, 5, 6 बावजूद सम्यक तामील अनु0 अत: इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वादी सं. 1 व 2 ने वाद पत्र के समर्थन में लिखित एवं तस्दीकशुदा शपथ पत्र पेश किये जो शामिल मिसल किये गये। वकील वादी के निवेदन पर बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय दि. 10/03/21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	गजानन्द (हस्ताक्षर) (बाबूलाल) (हस्ताक्षर) कमला
10/03/2021 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील वादीगण उप0। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 4 ने उपस्थित आकर वाद पत्र के समर्थन में अपने नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्र पेश किये। प्रतिवादीगण संख्या 2, 3, 5 व 6 बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही पूर्व में अमल में लायी जा चुकी हैं। बहस उभय पक्ष सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि वादीगण के नाम राजस्व ग्राम नाथा की नांगल तह. नीमकाथाना में खातेदारी भूमि हैं। वादी संख्या 1 व 2 का सही नाम क्रमशः कमला देवी पुत्री मालाराम एवं मितेश सागर पुत्र मालाराम हैं। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड तैयार करते समय सहवन से वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में क्रमशः कल्ला देवी पुत्री मालाराम	

(हस्ताक्षर)
(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

एवं सागर पुत्र मालाराम दर्ज कर दिया गया। वादीगण ने वाद पत्र के समर्थन में आधार कार्ड एवं स्वंय के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं जिनमें वादी संख्या 1 व 2 का नाम क्रमशः कमला देवी पुत्री मालाराम एवं मितेश सागर पुत्र मालाराम है। वाद पत्र में अंकित तथ्यों के समर्थन में बतौर साक्ष्य प्रतिवादी संख्या 1 गजानन्द पुत्र मालाराम एवं प्रतिवादी संख्या 4 बाबूलाल पुत्र मालाराम के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात वादीगण के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्रों, प्रतिवादी संख्या 1 गजानन्द पुत्र मालाराम एवं प्रतिवादी संख्या 4 बाबूलाल पुत्र मालाराम के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्रों का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम क्रमशः कल्ला देवी पुत्री मालाराम व सागर पुत्र मालाराम अंकित है। वादीगण का कथन कि वादी संख्या 1 का नाम कमला देवी पुत्री मालाराम एवं वादी संख्या 2 का नाम मितेश सागर पुत्र मालाराम हैं की पुष्टि आधार कार्ड एवं स्वंय के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्रों से होती है तथा इन तथ्यों की पुष्टि बतौर साक्ष्य प्रतिवादी संख्या 1 व 4 द्वारा प्रस्तुत नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्रों से भी होती हैं। इस प्रकार प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 4 द्वारा प्रस्तुत नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्रों के आधार पर वाद पत्र वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता हैं तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम नाथा की नांगल तह. नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 127 के खसरा नम्बर 488 रकबा 0.65 है0 एवं खसरा नम्बर 535 रकबा 0.23 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.88 है0. के राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम **कल्ला देवी पुत्री मालाराम एवं सागर पुत्र मालाराम** के स्थान पर **क्रमशः कमला देवी पुत्री मालाराम एवं मितेश सागर पुत्र मालाराम** दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावें। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। निर्णयानुसार पर्चा डिक्री मुर्तीब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)